

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्री/वादी

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण


चूराम

बनाम

जुगल

रसम प्रकरण : वाद पत्र

मुकदमा नं. 268/2022

रेख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
06.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। प्रकरण को अवलोकन किया जिससे ज्ञात हुआ कि प्रकरण हाजा दिनांक 24.11.2022 से तलबी में लम्बित चला रहा है। तथा प्रकरण में प्रतिवादीगण की तलबी हेतु अनेक अवसर दिये गये, गत तारीख पेशी पर वकील वादी ने सम्मन तलबी हेतु पेश किये जो जरिये रजिस्टर्ड एडी हेतु भिजवाकर वकील प्रार्थी को रसीदे व डिलीवर्ड रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देश दिये गये किये परन्तु वकील वादी ने साबिका आदेश की पालना नहीं की है।</p> <p>अतः प्रकरण हाजा साबिका आदेश दिनांक 09.04.2025 की पालना नहीं की जाने पर सीपीसी आदेश 09 नियम 5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है। प्रकरण अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> (जीतू कुलहरी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p>	